आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 03.07.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

- प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार तीन गुना अधिक ताकत और गति के साथ काम करेगी और तीन गुना परिणाम देगी।
- तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद द्वीपसमूह में पहला मामला दर्ज किया गया है।
- द्वीपसमूह में तीन नए आपराधिक कानून को लागू करने और इसे और उपयोगी बनाने के लिए ई–एफ आई आर पंजीकरण और ऑनलाइन गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण मॉड्यूल विकसित किया गया ।
- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन आपराधिक कानून देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे।
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी–एनटीए में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी हैं।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा को भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर बहुत गंभीर है और इस बारे में युद्धस्तर पर आवश्याक कदम उठाये जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार तीन गुना अधिक ताकत और गति के साथ काम करेगी और तीन गुना परिणाम देगी। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देशवासियों ने उसे विपक्ष में बैठने के लिए वोट दिया है। मुख्य विपक्षी दल लगातार तीन बार आम चुनावों में सौ सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर सका। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसका सहयोगी तंत्र लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन–एनडीए को हरा दिया है। श्री मोदी ने आम चुनाव में परिपक्व सोच और समझदारी दिखाने के लिए देश के लोगों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से भारत प्रथम के आदर्श वाक्य से संचालित है और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त न करने की उनकी नीति का लोगों ने समर्थन किया है। श्री मोदी ने विपक्ष के नेता का नाम लिये बिना राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सदन को कई मुद्दों पर गुमराह करने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा एक समुदाय विशेष पर गलत आरोप लगाने की साजिश रची जा रही है, जो एक गंभीर मामला है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कांग्रेस के सहयोगियों को उसकी साजिशों का उचित जबाव दिया जायेगा।

<><><><><><><>

संसद में विपक्ष के नेता द्वारा एक समुदाय विशेष पर गलत आरोप लगाए जाने के मुद्दे को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से पोर्ट ब्लेयर में गांधी प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया और नारे–बाज़ी की गई।

<><><><><><><>

तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद द्वीपसमूह में पहला मामला दर्ज किया गया है। अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस थाने की टीम ने सूचना के आधार पर भातू बस्ती के नॉशाद कॉलोनी में रहने वाले एक निजी कामगार के घर पर छापामार कर साठ से अधिक शराब की बोतले ज़ब्त की। खोज और प्राप्त समान को ज़ब्त करने के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूरा ध्यान रखा गया। वीड़ियों रिकॉर्डिंग की गई।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में तीन नए आपराधिक कानून को लागू करने और इसे और उपयोगी बनाने के लिए ई–एफ आई आर पंजीकरण और ऑनलाइन गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण मॉड्यूल विकसित किया गया है। मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में पुलिस विभाग की ओर से आयोजित नए कानून का उदय नामक कार्यक्रम के अवसर पर इसका उद्घाटन किया। ये मॉड्यूल एफ आई आर दर्ज करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई एक डिजिटल पहल है, जिससे ये जनता के लिए अधिक सुलभ और कुशल बन सके। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग की ओर से तीन नए कानूनों को दर्शाती एक सूचनात्मक पॉम्प्लेट भी जारी किया, ताकि ये समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके और लोगों को नए कानूनों के बारे में जानकारी मिल सके।

कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव ने इन कानूनों की जानकारी दी। लघु नाटिका का मंचन भी किया गया। निकोबार जिला पुलिस की ओर से भी कच्छाल, कैम्पबेल बे, ननकौड़ी, कार निकोबार जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। मध्योत्तर अंडमान जिले में भी सभी पुलिस थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

<><><><><><>

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन आपराधिक कानून देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से 'स्वदेशी' है और आजादी के बाद भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित है। उन्होंने कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि इससे पहले, केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधि के खिलाफ नए प्रावधानों के साथ राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया है। गृहमंत्री ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अब बीस वर्ष की कैद या आजीवन कारावास की सजा होगी। उन्होंने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा दी जाएगी। श्री शाह ने बताया कि नए कानूनों में पीड़िता के बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों और उसके अपने परिवार की उपस्थिति में दर्ज कराने का भी प्रावधान है। श्री शाह ने बताया कि नए कानूनों में भीड़ की हिंसा के विरूद्ध भी प्रावधान हैं।

<><><><><><>

विद्युत विभाग में मजदूर के पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। चार और पांच जुलाई को सुबह सात बजे से चिड़ियाटापू के जैविक उद्यान में यह परीक्षा ली जाएगी। उम्मीदवारों को सुबह छह बजे उपस्थित होने को कहा गया है।

<><><><><><>

आत्महत्या जैसी प्रवृति को रोकने के लिए जन–मानस में चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से हाल ही में हैडो वार्ड नम्बर–एक में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के अलावा डॉ. मितेश बिहारी और चाथम थाना प्रभारी रशीदा ने मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता उत्पन्न करने के महत्व पर अपने विचार रखे, ताकि समुदाय के सहयोग से आत्महत्या जैसी प्रवृति को रोका जा सके।

पुलिस अधीक्षक ने मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के लिए खुली चर्चा पर जोर दिया, ताकि बातचीत के माध्यम से उनके अंदर मौजूद नकारात्मकता की भावना को दूर किया जा सके।

<><><><><><><>

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी–एनटीए में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना तथा कार्यप्रणाली पर सुझाव और विचार मांगे हैं। ये सुझाव सात जुलाई तक भेजे जा सकते हैं।

<><><><><><><>

स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पिछले दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ए एन एम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिगलीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और आई सी डी एस परियोजना ग्रामीण के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कुमार गौरव ने बच्चों के पोषाहार के महत्व पर जानकारी दी। बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदिरा देवी ने कुपोषण से बचने के लिए उचित पोषाहार पर अपने विचार रखे।

<><><><><><><>

अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति में इंजन डिंगी हेल्पर के पद के लिए अस्थाई रूप से चुने गए सभी उम्मीदवारों की तैराकी परीक्षा ली जाएगी। इस तैराकी परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को सात जुलाई को सुबह छः बजे तक नेताजी स्टेडियम के स्वीमिंग पुल में उपस्थित रहने को कहा गया है। उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज और प्रवेश पत्र साथ लाने होंगे।

उधर, आई सी डी एस फरारगंज परियोजना के तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए मानदेय के आधार पर चुने गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक की सूची सीडी पी ओ फरारगंज के सूचना पट्ट पर दर्शा दी गई है। उम्मीदवारों को अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने को कहा गया है।

<><><><><><><>

समाचार पत्रों की सुर्खियां

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जब एक देश विकसित होता है तो मजबूत आधारशिला रखी जाती है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों की सपनों को साकार किया जा सकें। सदन में प्रधानमंत्री के उस बयान को द डेली टेलीग्राम्स ने आज अपनी बड़ी खबर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोक सभा में भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर बहुत गम्भीर है और दोषियों को नही छोडा जाएगा–द्वीप समाचार की खबर है। मुख्य सचिव द्वारा राजस्व विभाग की तीन ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन करने के समाचार को इंफो इंडिया अपनी पहली हेड लाइन बनाया है। शहर के सड़कों पर आवारा मवेशियों के घूमने से लोगों को भारी आसुविधा और खतरे का सामना करना पड़ रहा है–द अण्डमान एक्सप्रेस अंग्रेजी की खबर है। तीन नए आपरधिक कानून को लागू करने के लिए मध्योत्तर अण्डमान जिले में कई कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार को द इको ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है।

<><><><><><><>